

सेवा में.

महासचिव,

बीएसएनएल कर्मचारी संघ, (BSNL EU)

नई दिल्ली।

विषय:- आंदोलन कार्यक्रम की सूचना के संबंध में।

1. आपके पत्र सं. UF/1, दि. 04.04.2016, द्वारा जिसमें दो अन्य हस्ताक्षरी सहित निगमित कार्यालय, परिमंडल एवं SSA स्तर पर अपनी मॉर्गों के समर्थन में 07.04.2016 को धरना एवं 08.04.2016 से पूरे असहयोग का नोटिस दिया है।
2. यह अत्यधिक चिंता का विषय है कि जब सदस्यता सत्यापन अधिसूचित की जा चुकी है और 10 मई, 2016 को चुनाव होने वाले हैं तब मुख्य मान्यता प्राप्त गैर कार्यपालक (नॉन एक्जीक्यूटिव) प्रतिनिधि संघ आंदोलन आदि की बात कर रहा है। वह भी उन मुद्दों पर जो पहले से ही प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत हैं तथा कई बार इस संबंध में संघों से चर्चा भी की गई है। इस समय किसी भी कानूनी एवं अप्रासंगिक है।
3. आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक-04.04.2016, में आपने विशेष रूप से शिकायत की है कि अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, बीएसएनएल एवं NFTE के मध्य गुप्त रूप तरीके से यह नियत किया गया है कि PLI (बोनस) के रूप में दो अंकों की राशि तामू कर दी जाए। यह शिकायत पूरी तरह निराधार एवं अर्थहीन है। प्रबंधन ने इसे अत्यधिक गंभीरता से लिया है तथा आपको इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न करने की हेतु सलाह दी जाती है। यह समझ से परे है कि जब बीएसएनएल कर्मचारी संघ किसी बैठक में सम्मिलित नहीं हुआ तो इस प्रकार की दो अंकों की राशि वाली बात कैसे व कहां से आई। यह पूर्णतः असत्य है एवं इस मुद्दे को विस्तृत रूप से प्रचारित कर संघ संगठन की छवि घुमिल कर रहा है। संघ को पुनः यह परामर्श दिया जाता है कि इस प्रकार की असंपुष्ट सूचना सर्वजन को प्रचारित न करें। फिर भी यह सूचित किया जाता है कि अभी तक PLI (बोनस) पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस संबंध में शीघ्र ही बोर्ड की बैठक की संभावना है।
4. यह दोहराना अनावश्यक होगा कि इस समय सदस्यता सत्यापन पर हमारा सर्वधिक ध्यान है, ना कि आंदोलन आदि पर। कंपनी के संपूर्ण हित को ध्यान में रखते हुए एवं यह तथ्य कि सदस्यता सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण रूप से जारी है, मैं प्रबंधन की ओर से आपसे यह निवेदन करता हूँ कि आप अपना प्रस्तावित आंदोलन कार्यक्रम न करें तथा सदस्यता सत्यापन के सुगम संचालन के लिए पूर्ण सहयोग करें।

(रामशकल)

अपर महाप्रबंधक (SR)

बीएसएनएल निगमित कार्या.

जनपथ, नई दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, बीएसएनएल / सभी निदेशक।
2. महाप्रबंधक (प्रशा), बीएसएनएल निगमित कार्या।
3. समस्त मुख्य महाप्रबंधक (उचित कार्रवाई हेतु)।